राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–25 / 18

दायर दिनांकः–24.07.2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. हरिराम पुत्र रामधन जाति जाट
2. जगदीश पुत्र रामधन जाति जाट
3. श्योजी पुत्र रामधन जाति जाट
4. श्रीमती गंगा पत्नि जाति जाट

सर्वनिवासी नीमणों की ढ़ाणी, पींगलोद तहसील रूपनगढ़

......प्रार्थीगण

बनाम

1. रामी पत्नि रामाकिशन जाति जाट
2. शिवचन्द पुत्र मिठ्ठू जाति जाट सर्वनिवासी कल्याणीपुरा वाया कुचील तहसील किशनगढ़
3. चूंका देवी पत्नि नाथू जाति जाट
4. सन्जू देवी पुत्री नाथू जाति जाट
5. सुरेश पुत्र नाथू जाति जाट नाबालिग
6. रिछपाल पुत्र नाथू जाति जाट नाबालिग
7. समोदरा देवी पुत्री नाथू जाति जाट नाबालिग

   5 लगायत 7 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चूंका देवी पत्नि नाथू सर्वनिवासी पींगलोद तहसील रूपनगढ़
8. श्योजीराम पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी पींगलोद तहसील रूपनगढ़
9. बालकिशन पुत्र हीरादास जाति साधू
10. सत्यनारायण पुत्र हीरादास जाति साधू
11. सर्वेश्वर पुत्र हीरादास जाति साधू
12. राजेश कुमार पुत्र हीरादास जाति साधू
13. मनभर पत्नि हीरादास जाति साधू
14. रेणू देवी पत्नि सर्वेश्वर जाति साधू
15. सिम्पी देवी पत्नि राजेश कुमार जाति साधू

    अप्रार्थी 9 लगायत 15 निवासीगण पींगलोद तहसील रूपनगढ़
16. शाखा प्रबंधक, बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक कुचील तहसील किशनगढ़
17. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई बैंक सलेमाबाद तहसील किशनगढ़
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

निर्णय दिनांक 22.07.2022

उपस्थित अधिवक्ता–

01. श्री ध्रुवसिंह चौधरी –प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री अरविन्द कुमार दाधिच, श्री विमल किशोर तिवाड़ी, श्री रामेदव गुर्जर – अप्रार्थीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की [illegible] खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नंबर 382 रकबा 6 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 [illegible] रकबा [illegible] बिस्वा गै0मु0चाह, ख0न0 384 रकबा 45 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 46 [illegible] ग्राम पींगलोद, पटवार हल्का पींगलोद तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वज कृषि कार्य करते चले आ रहे है उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा अर्से दराज से उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थीगण [illegible] व पति रामधन ग्राम पींगलोद से आकर कुएं पर ही मकान बना लिये तब से वह तथा उनके स्वर्गवास पश्चात प्रार्थीगण कृषि कार्य व निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने, कृषि उपज लाने ले जाने चारा, खाद, बीज तथा मकान निर्माण सामग्री आदि लाने, ले जाने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम पींगलोद से कल्याणीपुरा जाने वाली रोड़ है जो आम रास्ता ख0न0 409 है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उक्त सड़क में प्रार्थीगण का कृषि आराजी पर आने जाने जानवर सामान कृषि उपज निमार्ण सामग्री लाने ले जाने हेतु पैदल, ट्रेक्टर, ट्रोली, ट्रक आदि से लाने ले जाने हेतु मुख्य रोड़ से पश्चिम दिशा की ओर ख0न0 418, 419, 426, 511/426, 425 की कृषि आराजियों के दक्षिणी सींव के सहारे चलकर प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0न0 382, 383, 384 पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली, ट्रक आदि कृषि उपज आदि हेतु पूर्वजों के समय से शान्ति पूर्वक लाते ले जाते रहे है।

उक्त प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने हेतु सबसे सुगम व लघु रास्ता है जो बिना किसी रोक टोक के काम में लेते आ रहे है। दिनांक 01.07.2018 को अप्रार्थीगण ने ख0न0 425 की आराजी में जो रास्ता उपयोग, उपभोग में आ रहा था उसे जबरन ट्रेक्टर चलाकर जोत कर फसल की बुवाई कर दी उससे प्रार्थीगण का रास्ता पूरी तरह बन्द हो गया तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये भी कोई रास्ता नहीं है। तब प्रार्थीगण ने ख0न0 429, 427, 430 के खातेदारो से हाथा जोड़ी करके आने जाने का रास्ता निवेदन कर मांगा तब अपने बच्चों को स्कूल भेजा गया। उक्त प्रार्थीगण का रास्ता कम से कम 20 फीट चौड़ा पींगलोद कल्याणीपुरा रोड़ से ख0न0 418, 419, 426/1, 511/426 तथा ख0न0 425 की कृषि आराजी के दक्षिण सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की कृषि आराजी ख0न0 384 की पूर्वी सींव तक ख0न0 425, 511/426, 426/1, 418, 419 के सभी खसरा नम्बरों की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता पींगलोद कल्याणीपुरा रोड़ अजमेर सीकर मेगा हाईवे की पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रदान करावे। प्राथीगण डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि उक्त रास्ते की नाप चौक कराकर न्यायालय में जमा कराने को तैयार है तथा रास्ते की भूमि की न्यायालय जो भी रकम बतायेगा प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। ग्राम पींगलोद से कल्याणीपुरा रोड़ से प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने वाले रास्ते पर ख0न0 418, 419 की कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 1, 2 की खातेदारी की आराजी तथा खसरा नम्बर 511/426, 425 की आराजी अप्रार्थीगण 3 लगायत 15 की कृषि आराजी खातेदारी की है इस कारण उन्हे अप्रार्थी बनाया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के पूर्वज रामधन तथा उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते से अर्से दराज से शान्ति पूर्वक अपनी कृषि उपज जानवर, खाद–बीज, जुताई, बुवाई तथा ट्रेक्टर, ट्रोली आदि से कृषि उपज चारा आदि लाने ले जाने हेतु उक्त रास्ते को ही अपनी कृषि आराजी पर आने जाने उपयोग उपभोग करने हेतु काम मे लेते आ रहे थे उसकी खन्दक भी मौके पर आज भी बनी हुई है जिसकी व रास्ते को जोतने बोने की फोटो संलग्न है।उक्त रास्ते को दिनांक 01.07.2018 को बन्द करने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जो सबसे लघुत्तम रास्ता है तथा अप्रार्थीगण की अधिक कृषि आराजी खराब न हो इसलिए केवल [redacted] 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्राथी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 तथा 9 से 18 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 4 व 8 की तामिली हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में सूचना प्रकाशित करवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 17 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 18 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर प्रकरण में दिनांक 23.07.2020 एवं पुनः दिनांक 03.11.2021 को रिपोर्ट पेश की गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 23.07.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में ख0न0 430, 427, 429 में से गुजरने वाले रास्ते को न्यूनतम दूरी का बतलाया है, किन्तु तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पेश रिपोर्ट अनुसार ख0न0 430, 427, 429 में से रास्ता दिये जाने पर खेजड़ी, नीम, बबूल, बैर आदि के 50 पेड़ो का नुकसान होता है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 03.11.2021 को पेश की गयी रिपोर्ट अनुसार ख0न0 418 में से 0.0234 है, ख0न0 419 में से 0.0575 है0, ख0न0 426 में से 0.0404 है0, ख0न0 511/426 में से 0.0097 है0, ख0न0 425 में से [illegible] प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होगी। उक्त प्रस्तावित [illegible] का उल्लेख किया है। रास्ते में भूमि की डी0एल0सी0 दर(असिंचित) 102932/–रू [illegible] है0 जिस [illegible] डी0एल0सी0 दर अनुसार राशि 15645.50 जाने वाली कुल भूमि का रकबा [illegible] होती है। प्रकरण में [illegible] की बहस सुनी गयी। बहस के रूपये की दुगुनी राशि 31291 [illegible] श्री [illegible] किशोर [illegible] ने जाहिर किया कि उन्हे जवाब दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 3 से [illegible] में से दिया जाने वाला रास्ता निकटतम नहीं नहीं देना है। उन्होंने जाहिर किया [illegible] करने पर ख0न0 430, 429, 427 के है। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्र[illegible] खातेदारान को भी पक्षकार संयोजित कर नोटिस जारी किये। उक्त पक्षकारान की ओर उपस्थित वकील श्री रामदेव गुर्जर ने बहस में जाहिर किया कि उन्हें मूल वाद में न तो पक्षकार बनाया गया और न ही मेरे खसरों से रास्ता चाहा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

... में अपना जवाब भी पेश किया। इसी बात में 1(10) में पक्षकार बनाया गया है।
... वकील वादी ने अवगत कराया कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जो रास्ता
... पुराना रास्ता रहा है, नजदीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अप्रार्थी ने
... उस पर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार 60 पेड़ होना बताया गया है जो काटने से
... होता है। वकील अप्रार्थी श्री अरविन्द कुमार वाधिच ने बहस में अवगत कराया कि हमारा
... नजदीकी नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार निकटतम, सरलतम एवं सुगम रास्ता ही
... जा सकता है। प्रार्थना पत्र में भी यही लिखा है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी यही बाते लिखी
है। ... विरवासी ज्यादा है। किसी का खेत खराब ना हो प्रार्थी को पड़ौस वाले खसरे से ही रास्ता
दिया जा सकता है। वर्तमान में आवागमन हो रहा है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि ख0न0 429, 427, 430 में से रास्ता दिये जाने पर दूरी न्यूनतम बनती है परन्तु ख0न0 418, 419, 426, 511/426 व 425 में दूरी का फर्क नगण्य है क्योंकि ख0न0 429, 427, 430 में से रास्ता दिये जाने पर रास्ते का रकबा 01-08 -00 बीघा बनता है तथा ख0न0 418, 419, 426, 511/426, 425 में से रास्ता दिये जाने पर रकबा 01-08-10 बीघा बनता है जो कि नगण्य है एवं ख0न0 429, 427, 430 में से रास्ता दिये जाने पर 60 हरे वृक्षो का नुकसान होने की संभावना है जिससे पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पीपलोद के ख0न0 384 तक पंहुच हेतु ख0न0 418, 419, 426, 511/426 व 425 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.1520 है0 होता है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 102932/-प्रति हैक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 15615.50 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 31291/- रूपये अक्षरे- इकतीस हजार दो सौ इकरानवें रू मात्र बनती है। तदनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाले रकबे, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है

क्र0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	418	सन्तो देवी पत्नि रामकिशन कौम जाट	0.0234	4817
02	419	सन्तो देवी पत्नि रामकिशन कौम जाट	0.0287	5918
03	419	शिवचन्द पुत्र मिट्ठू कौम जाट	0.0287	5918
04	426	चूंका देवी पत्नि नाथू कौम जाट	0.0040	823
05	426	संजू देवी पुत्री नाथू कौम जाट	0.0040	823
06	426	सुरेश पुत्र नाथू कौम जाट	0.0040	823
07	426	रिछपाल पुत्र नाथू कौम जाट	0.0040	823
08	426	नाबा0 समंदरा देवी पुत्री नाथू कौम जाट	0.0040	823
09	426	श्योजीराम पुत्र धन्ना कौम जाट	0.0202	4158
10	511/426, 425	चूंका देवी पत्नि नाथू कौम जाट	0.0015	309
11	511/426, 425	संजू देवी पुत्री नाथू कौम जाट	0.0015	309
12	511/426, 425	सुरेश पुत्र नाथू कौम जाट	0.0015	309
13	511/426, 425	रिछपाल पुत्र नाथू कौम जाट	0.0015	309
14	511/426, 425	नाबा0 समंदरा देवी पुत्री नाथू कौम जाट	0.0015	309
15	511/426, 425	श्योजीराम पुत्र धन्ना कौम जाट	0.0076	1564
16	511/426, 425	बालकिशन पुत्र हीरादास कौम साधू	0.0030	618
17	511/426, 425	सत्यनारायण पुत्र हीरादास कौम साधू	0.0030	618
18	511/426, 425	रेणु देवी पत्नि रविशंकर कौम साधू	0.0030	618
19	511/426, 425	सिन्धी देवी पत्नि राजेश कुमार कौम साधू	0.0030	618
20	511/426, 425	मनभर पत्नि हीरादास कौम साधू	0.0030	618

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
...गढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:21 IST
Reason: SelfAttested